<u>कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा (छ0ग0)</u>

<u>//विविध आदेश //</u>

कमांक ५ ८ ५ /दो–12–18/2006, जांजगीर, दिनांक 15/04/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी परामर्शिका कमांक 343/II-15-08/2004(Pt.B.)/Confdl/2020 Bilaspur Dated 16 March 2020,आदेश कमांक–40(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 23 March, 2020, आदेश कमांक–41(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 26 March, 2020, आदेश कमांक –43(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 14 April, 2020 के आलोक में दिनांक 20/04/2020 से 02 मई, 2020 तक की अवधि में धारा 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक प्रथम जमानत आवेदनपत्र का प्रस्तुतिकरण कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा के प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रातः 11.00 बजे से 02.00 बजे के मध्य निम्न दिनांकों में प्रस्तुत किये जायेंगे और उनका निराकरण करने हेतु निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की ड्यूटी नियत की जाती है, जो कि सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा के द्वारा जमानत अंतरित किये गये आवेदनपत्रों का निराकरण निम्न दिनांको को करेंगे:–

क	जमानत आवेदन प्रस्तुति दिनांक	जमानत आवेदनपत्र का विधिवत निराकरण करने का दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	न्यायिक अधिकारी का पदनाम
1	20/04/2020	22/04/2020	श्रीमती नीता यादव	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) जांजगीर–चांपा
2	23/04/2020	25/04/2020	श्रीमती कीर्ति लकड़ा	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.)/ (भ्रष्टाचार निवारण)/ (विद्युत अधिनियम), जांजगीर– चांपा
3	27/04/2020	29/04/2020	सुश्री उदयलक्ष्मी परमार	अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.)/ पाक्सो एक्ट, जांजगीर–चांपा
4	30/04/2020	02/05/2020	श्री जगमोहर शंकर पटेल	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा

यदि जमानत आवेदनपत्र विशेष अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एट्रोसिटी), स्वापक औषधियां और मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम, 1985(एन.डी.पी.एस.), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम(पाक्सो), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं विद्युत अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उनकी सुनवाई संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा ही उक्त उल्लेखित तिथियों में की जावेगी। इस संबंध में कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले विशेष न्यायाधीश के प्रस्तुतकार को मोबाईल फोन से सूचना दी जावेगी और संबंधित प्रस्तुतकार अपने पीठासीन अधिकारी को उनके मोबाईल फोन से सूचित करेंगे। तब जमानत आवेदनपत्र का विधिवत निराकरण संबंधित विशेष न्यायाधीश द्वारा उक्त नियत दिनांक को किया जावेगा।

उक्त न्यायिक अधिकारी उक्त जमानत आवेदनपत्र का निराकरण करने हेतु उक्त दर्शित तिथि को दोपहर पश्चात 03.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य अपने न्यायालय कक्ष में बैठकर न्यूनतम से न्यूतम कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर जमानत आवेदनपत्रों का निराकरण करेंगे।

सभी जमानत आवेदनपत्र कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के दिन ही सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा के समक्ष रखे जायेंगे और सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदनपत्रों के पंजीयन का आदेश पारित करने के पश्चात उसे उक्त ड्यूटीरत न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में अंतरित करेंगे और केस डायरी आहूत करेंगे।

उक्त अनुसार नियत किये ड्यूटीरत न्यायिक अधिकारी कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये सामाजिक दूरी बनाकर जमानत आवेदनपत्रों पर तर्क सुनकर उनका विधिवत निराकरण करेंगे। इस संबंध में अधिवक्ता, जो कि न्यायालय कक्ष में उपस्थित होंगे, वे माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु जसारीकिये गये सभी निर्देशों का पालन करते हुये ही न्यायालय परिसर में और पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे।

लोक अभियोजक, जाजगीर–चांपा, इस कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी से उक्त दिनांक को प्रस्तुत किये गये जमानत आवेदनपत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त करना सुनिश्चित

करेंगे और प्रतिलिपि प्राप्त कर संबंधित केस डायरी को उक्त नियत किये गये तिथियों में सुनवाई करने वाले न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा(छ0ग0)

प्रतिलिपिः

पृ0क0 486/दो–12–18/2006, जांजगीर, दिनांक 15/04/2020

1– विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी) जांजगीर–चांपा।

2– विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0), जांजगीर–चांपा

3– विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जांजगीर/सक्ती,

4– विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), जांजगीर/सक्ती

5– प्रथम/द्वितीय/तृतीय,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर/सक्ती।

6– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 जांजगीर/सक्ती/अकलतरा/चांपा

7– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–02 जांजगीर/सक्ती/डभरा/जैजैपुर/मालखरौदा/पामगढ/नवागढ

8– प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग जांजगीर/अकलतरा/चांपा/सक्ती/डभरा/जैजैपुर/मालखरौदा/पामगढ/नवागढ

9– अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, जांजगीर/चांपा/अकलतरा/पामगढ/नवागढ/सक्ती/डभरा/जैजैपुर/मालखरौदा।

10– शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जांजगीर/अतिरिक्त लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक, जांजगीर/सक्ती

11– जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जांजगीर

12– अधीक्षक जिला जेल जांजगीर/उपजेल सक्ती।

13– प्रस्तुतकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा।

15.4.20
(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा(छ0ग0)